न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मि0 नं0 972/दावा/2019
दायरा दि0 06/11/2019

उनवान

मुकेश पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर नि0 जोलपा तह0 खानपुर जिला झालावाड़
— वादी

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
2. राधेश्याम पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
3. धनराज पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
4. धनकंवर पुत्री रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
5. जशोदाबाई पत्नि धनराज जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
6. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर तह0 खानपुर
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी
श्री भूपेंद्रसिंह हाड़ा अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 19/11/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने न्यायालय हाजा में एक वाद धारा 88, 89, 91ए, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम जोलपा की जमाबंदी सं0 2076–79 की खतौनी सं0 436 की ख0नं0 914 रकबा 2.1205 हैक्टेयर, ग्राम मेंहदड़ी की जमाबंदी सं0 2074–77 की खतौनी सं0 167 की ख0नं0 530/611 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, ग्राम मेंहदड़ी की जमाबंदी सं0 2074–77 की खतौनी सं0 61 की ख0नं0 537/606 रकबा 0. 9712 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज होने से उनके मन में बदयान्ति आ गई है और वादी को अपनी पुश्तैनी आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं दे रहे हैं। वादी को अपने घर परिवार को चलाने के लिये अपनी पुश्तैनी आराजी की आवश्यकता है। वादी के पिता प्रति0नं0 1 रामकल्याण के चार संतान क्रमशः पुत्र राधेश्याम, धनराज, मुकेश व पुत्री धनकंवर है। इस आराजी में प्रति0नं0 5 जशोदाबाई खातेदार होने से इसका हिस्सा भी निहित है और पारिवारिक सजरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/6, प्रति0नं0 1 का हिस्सा 1/6, प्रति0नं0 2 का हिस्सा 1/6, प्रति0नं0 3 का हिस्सा 1/6, प्रति0नं0 4 का हिस्सा 1/6, प्रति0नं0 5 का हिस्सा 1/6 निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वर्णित आराजी में से मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है व वाद पत्र की मद नं0 2, 3 में वर्णित आराजी वादी के पिता रामकल्याण द्वारा अपनी पुश्तैनी आराजी से होने वाली आय से प्रति0नं0 2, 3 के नाम से खरीद करके उनके हिस्से में दर्ज करवा दी है। इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वादी का जन्म से ही हिस्सा निहित है। इस आराजी में वादी का हिस्सा 1/6 बनता है। ऐसे में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे और वादी के हिस्से में आने वाली आराजी का विभाजन भी किया जावे। प्रतिवादीगण से वादी द्वारा हिस्सा देने की कहने, उनके मना करने एवं लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होने से वाद कारण दिनांक 25.10.2019 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम जोलपा की ख0नं0 914 रकबा 2.1205 हैक्टेयर, ग्राम मेहन्दड़ी की ख0नं0 530/611 रकबा 1.6916 हैक्टेयर एवं ग्राम मेहन्दड़ी की ख0नं0 537/606 रकबा 0.9712 हैक्टेयर आराजी में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर वादी के हिस्से में आने वाली आराजी का बटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे और अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को अता फरमायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पक्षकारान ने जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि " उपरोक्त उनवानी वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निम्न प्रकार से राजीनामा कर लिया है। यह कि राजीनामा के अनुसार वादी मुकेश के हिस्से में ग्राम जोलपा तहसील खानपुर की नया खाता नं0 436 की ख0नं0 914 की 9.00 बीघा जो 1.4569 हैक्टेयर आराजी उत्तर दिशा की रहेगी व प्रति0नं0 3 धनराज के नया खाता नं0 436 ख0नं0 914 की 4.02 बीघा जो 0.6636 हैक्टेयर दक्षिण दिशा की रहेगी और इसी प्रकार प्रति0नं0 2 राधेश्याम के ग्राम मेहन्दड़ी की खाता नं0 167 की ख0नं0 530/611 रकबा 1.6919 हैक्टेयर सम्पूर्ण व प्रति0नं0 5 जसोदाबाई के ग्राम मेहन्दड़ी की नया खाता नं0 61 की ख0नं0 537/606 की 0.9712 हैक्टेयर सम्पूर्ण रहेगी और प्रति0नं0 1 रामकल्याण का नाम खाते से हटाया जावे व प्रति0नं0 4 धनकंवर उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। इस प्रकार से राजीनामा से वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत हैं। अतः श्रीमान् की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे। " राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया, जिसे पक्षकारान द्वारा सही व सत्य होना एवं राजीखुशी से आलेखित कराना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम जोलपा व मेहन्दड़ी की वादग्रस्त आराजियात वादी की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें वादी का जन्म से ही 1/6 हिस्सा निहित हैं। हम पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होकर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली हो चुका है। हम राजीनामा के अनुसार वाद का निस्तारण चाहते हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी ने अपनी पुश्तैनी आराजी ग्राम जोलपा की ख0न0 914 रकबा 2.1208 हैक्टेयर ग्राम मेहन्दडी की ख0न0 530/611 रकबा 1.6916 हैक्टेयर एवं ग्राम मेहन्दडी की ख0न0 537/606 रकबा 0.9712 हैक्टेयर आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित करने व अपने हिस्से में आने वाली आराजी का विभाजन चाहने का यह वाद पेश किया है। यहां पक्षकारान ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। पक्षकारान आपस में परिवारजन है तथा पारिवारिक विवाद को हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त करने के हित में हम इस वाद को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निर्णित करना उचित समझते है।

अत: वाद, वादी राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा वादी मुकेश को ग्राम जोलपा तह0 खानपुर की जमाबंदी स0 2076-79 की खाता न0 436 की ख0न0 914 की 9.00 बीघा अर्थात 1.4569 हैक्टेयर आराजी उत्तर दिशा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0न0 3 धनराज को ग्राम जोलपा तह0 खानपुर की जमाबंदी स0 2076-79 की खाता न0 436 ख0न0 914 की 4.02 बीघा अर्थात 0.6636 हैक्टेयर दक्षिण दिशा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0न0 2 राधेश्याम को ग्राम मेहन्दडी की जमाबंदी स0 2074-77 की खाता न0 167 की ख0न0 530/611 रकबा 1.6919 हैक्टेयर का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। एवं प्रति0न0 5 जसोदाबाई को ग्राम मेहन्दडी की जमाबंदी स0 2074-77 की खाता न0 61 की ख0न0 537/606 की 0.9712 हैक्टेयर आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0न0 1 रामकल्याण का नाम खाते से खारिज हो। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 19/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमात ईब्तदाई

(ओ न 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर ए एस)

मि0 नं0 972/दावा/2019
दायरा दि0 06/11/2019

उनवान

मुकेश पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर नि0 जोलपा तह0 खानपुर जिला झालावाड़
— — वादी

बनाम्

1. रामकल्याण पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
2. राधेश्याम पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
3. धनराज पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
4. धनकंवर पुत्री रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
5. जशोदाबाई पत्नि धनराज जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर
6. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर तह0 खानपुर
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई **श्री गिरधारीलाल** नागर एडवोकेट वादी रूबरू **श्री भूपेंद्रसिंह हाड़ा** जानिब मुद्दालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :–

" वाद, वादी राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा वादी मुकेश को ग्राम जोलपा तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2076–79 की खाता नं0 436 की ख0नं0 914 की 9.00 बीघा अर्थात 1.4569 हैक्टेयर आराजी उत्तर दिशा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 3 धनराज को ग्राम जोलपा तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2076–79 की खाता नं0 436 ख0नं0 914 की 4.02 बीघा अर्थात 0.6636 हैक्टेयर दक्षिण दिशा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 2 राधेश्याम को ग्राम मेहन्दड़ी की जमाबंदी सं0 2074–77 की खाता नं0 167 की ख0नं0 530/611 रकबा 1.6919 हैक्टेयर का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। एवं प्रति0नं0 5 जसौदाबाई को ग्राम मेहन्दड़ी की जमाबंदी सं0 2074–77 की खाता नं0 61 की ख0नं0 537/606 की 0.9712 हैक्टेयर आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 1 रामकल्याण का नाम खाते से खारिज हो। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। "

यह डिक्री आज दिनांक 19/11/2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.21 11:46:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: